A — शिक्षा एवं प्रशिक्षण

सरकारी ITI

यह संस्थान क्या है

सरकारी ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) एक राज्य-स्वामित्व वाला प्रशिक्षण केंद्र है जो विद्यालय के बाद तकनीकी ट्रेडों में व्यावहारिक रोजगार-कौशल सिखाता है। ITI शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष तक के पाठ्यक्रम ("ट्रेड") संचालित करते हैं — इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, COPA (कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट), तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय। CTS वर्तमान में 169 NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा)-अनुपालक ट्रेडों में चलती है, परंपरागत ट्रेडों से लेकर नवीन Industry 4.0 ट्रेडों तक। अधिकांश ट्रेडों में कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है; कुछ कक्षा 8 भी स्वीकार करते हैं। प्रशिक्षण अत्यंत व्यावहारिक है: लगभग 70% समय कार्यशालाओं में और 30% कक्षाओं में बीतता है। सफल अभ्यर्थियों को NTC (राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र) मिलता है; कुछ राज्य निदेशालय ऐसे ट्रेडों को भी संबद्ध करते हैं जो केवल SCVT (राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद) — एक राज्य निकाय — द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, और SCVT ट्रेड को NCVET (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) में परिवर्तित करने के लिए नया संयुक्त निरीक्षण और SSDEC (राज्य कौशल विकास एवं उद्यमिता परिषद) की सिफारिश आवश्यक होती है। चयनित CTS ट्रेड किसी उद्योग साझेदार के साथ MoU (समझौता ज्ञापन) के माध्यम से DST (द्वैध प्रशिक्षण प्रणाली) के अंतर्गत विशिष्ट बैच के रूप में भी दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 3,300 सरकारी ITI हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप कोई ऐसा विशिष्ट ट्रेड सीखना चाहते हैं जो सीधे नौकरी या प्रशिक्षुता तक ले जाए, तो सरकारी ITI सबसे किफ़ायती विकल्प है। NTC प्रमाण पत्र भारत भर के नियोक्ताओं द्वारा मान्य है और आपको NAPS (राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना) के अंतर्गत प्रशिक्षुता के लिए पात्र बनाता है।

अभिशासन

कानून / नीति	दायरा
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)	प्राथमिक राष्ट्रीय योजना जिसके अंतर्गत सभी ITI संचालित होते हैं
शिक्षु अधिनियम (एए), 1961	पंजीकृत प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण-उपरांत प्रशिक्षुता को नियंत्रित करता है
DGT (प्रशिक्षण महानिदेशालय, MSDE — कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत) / NCVET / SCVT	DGT दीर्घकालिक CTS पाठ्यक्रमों के लिए एकमात्र पुरस्कार-प्रदाता तथा मूल्यांकन निकाय के रूप में कार्य करता है और NTC जारी करता है; NCVET (5 दिसंबर 2018 को अधिसूचित) एक नियामक है जो पुरस्कार-प्रदाता निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों तथा प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देता है और निगरानी करता है। SCVT राज्य-मान्य ट्रेडों के लिए STC (राज्य व्यापार प्रमाण पत्र) प्रदान करते हैं। NCVT MIS (पूर्व राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का प्रबंधन सूचना तंत्र) पोर्टल परिचालन-स्तर पर जारी है।
DGT संबद्धता मानदंड, 2018 (2025 में अद्यतन)	संबद्धता हेतु बुनियादी ढाँचा एवं स्टाफ़िंग की न्यूनतम आवश्यकताएँ
प्रधानमंत्री कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्थान (PM-SETU)	हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से ITI उन्नयन की प्रमुख योजना

- **केंद्र:** MSDE → प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT)
- **राज्य:** राज्य कौशल विकास / तकनीकी शिक्षा विभाग → राज्य निदेशालय (DVET — व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय / DTE — तकनीकी शिक्षा निदेशालय)
- **संस्थान:** प्रधानाचार्य, IMC (संस्थान प्रबंधन समिति) के सहयोग से
- **वित्त-पोषण:** मुख्यतः राज्य द्वारा वित्त-पोषित; उन्नयन के लिए PM-SETU
- व्यावसायिक प्रशिक्षण समवर्ती सूची का विषय है; ITI राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में हैं। केंद्र (DGT) संबद्धता मानदंड, पाठ्यक्रम तथा प्रमाणन तय करता है; राज्य दैनिक प्रशासन, भर्ती, और ITI संबद्धता हेतु आवश्यक NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने की विशेष शक्ति रखते हैं।
- PM-SETU 1,000 सरकारी ITI (200 हब + 800 स्पोक) का क्लस्टर-स्तरीय SPV (विशेष प्रयोजन वाहन) के माध्यम से उन्नयन करता है। उद्योग-नेतृत्व वाले प्रकार में, AIP (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर) SPV में 51% रखता है, और केंद्रीय एवं राज्य सरकारें मिलकर 49% रखती हैं (बराबर बँटवारा)। राज्य-नेतृत्व वाले प्रकार में (जहाँ AIP उपलब्ध नहीं), राज्य सरकार 51% रखती है और उद्योग साझेदार सह-वित्त-पोषण के माध्यम से न्यूनतम 17% का योगदान करते हैं।

मुख्य पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रधानाचार्य	प्रशासनिक एवं शैक्षणिक प्रमुख; DGT/NCVT अनुपालन
समूह प्रशिक्षक / फोरमैन	वरिष्ठ ट्रेड स्टाफ़ जो कई प्रशिक्षकों का पर्यवेक्षण करते हैं
व्यावसायिक प्रशिक्षक	ट्रेड-वार सिद्धांत एवं कार्यशाला कक्षाएँ; CITS (शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना) योग्यता धारक होने चाहिए
रोजगार-योग्यता कौशल प्रशिक्षक	सॉफ्ट स्किल, डिजिटल कौशल तथा संचार मॉड्यूल
IMC सदस्य	11 सदस्य (प्रधानाचार्य, 5 उद्योग, 5 सरकारी); उद्योग संपर्क एवं प्लेसमेंट को सुगम बनाते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- पुनर्संरचित CTS के 1,200 वार्षिक अधिगम घंटों (NEP — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 1,600 से घटाए गए) के साथ-साथ पाठ्यक्रम अवधि के प्रति वर्ष अनिवार्य 150 घंटे OJT (कार्य-स्थल प्रशिक्षण) उद्योग में — या जहाँ OJT व्यवहार्य न हो वहाँ समूह परियोजना — संचालित करना; यह 1,200 घंटों के अतिरिक्त है
- प्रत्येक CTS प्रशिक्षु को ITI में न्यूनतम तीन माह के प्रशिक्षण के बाद OJT पर भेजना, जिसकी संयुक्त निगरानी उद्योग संरक्षक एवं ITI समन्वयक करते हैं
- अनिवार्य 120-घंटे रोजगार-योग्यता कौशल मॉड्यूल — जिसमें संचार, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता तथा कार्यस्थल आचरण शामिल हैं — संचालित करना
- AITT (अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा) का संचालन या समर्थन करना तथा परिणाम के 60 दिनों के भीतर NTC जारी करना
- उत्तीर्ण विद्यार्थियों को NAPS पंजीकरण के लिए प्रतिष्ठानों से जोड़कर प्रशिक्षुता संपर्क सुगम बनाना
- NAPS के अंतर्गत नए प्रशिक्षुओं को आधार-प्रशिक्षण (ब्लॉक रिलीज़ ट्रेनिंग) देना
- उद्योग एक्सपोज़र दौरों की व्यवस्था करना (NCVET / DGT मानदंडों के अनुसार न्यूनतम दो प्रति वर्ष — पूर्व NCVT का स्थान लेने वाले मानदंड)

संबद्ध योजनाएँ

- **CTS** — सभी ITI प्रशिक्षुओं के लिए मानकीकृत ट्रेड प्रशिक्षण एवं प्रमाणन
- **PM-SETU** — 1,000 सरकारी ITI का AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सहित नवीन-युग के ट्रेडों के साथ उन्नयन
- **NAPS** — उद्योग में नियुक्त प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा सहायता (पोर्टल: apprenticeshipindia.gov.in)
- **द्वैध प्रशिक्षण प्रणाली (DST)** — व्यावहारिक प्रशिक्षण आंशिक रूप से MoU उद्योग साझेदार पर दिया जाता है। उद्योग-पक्ष की अवधि लचीली है: 6-माह पाठ्यक्रमों के लिए 1-3 माह, 1-वर्ष पाठ्यक्रमों के लिए 3-6 माह, और 2-वर्ष पाठ्यक्रमों के लिए 6-12 माह, और 2-वर्ष पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक उद्योग प्रशिक्षण ब्लॉक होना अनिवार्य है। यह ग्रेडिंग 2 या उससे अधिक वाले ITI के पहले से संबद्ध ट्रेडों के लिए उपलब्ध है।
- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (NSP — राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल)** — अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता

कैसे ढूँढें

पोर्टल: ncvtmis.gov.in — राज्य और जिले के अनुसार सभी संबद्ध ITI को ट्रेड, सीटों और ग्रेडिंग स्कोर सहित खोजें

इसके अलावा: राज्य पोर्टल देखें: UP (cmsiti.in), MP (mptesde.mp.gov.in), Rajasthan (hte.rajasthan.gov.in), Bihar (det.bihar.gov.in), Haryana (itiharyana.gov.in)

मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील सरकारी ITI में होना चाहिए: DGT उपकरण-सूचियों के अनुरूप परिचालनगत उपकरणों वाली ट्रेड-विशिष्ट कार्यशालाएँ, सिद्धांत कक्षाएँ, इंटरनेट युक्त कंप्यूटर लैब, ट्रेड मैनुअल वाला पुस्तकालय, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग कार्यशील शौचालय खंड, तीन-फेज़ बिजली आपूर्ति, स्वीकृत होने पर छात्रावास, तथा प्लेसमेंट एवं परामर्श कक्ष। IT लैब में प्रति शिफ्ट 100 प्रशिक्षुओं तक के लिए 25 वर्ग मीटर में वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन के न्यूनतम 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर होने चाहिए; प्रत्येक अतिरिक्त 20 प्रशिक्षुओं पर दो और डेस्कटॉप तथा 2.5 वर्ग मीटर अतिरिक्त फर्श-स्थान जोड़ा जाना चाहिए (केवल COPA ट्रेड चलाने वाले ITI के लिए विशिष्ट IT लैब आवश्यक नहीं है)। एक बहुउद्देशीय हॉल (110 वर्ग मीटर, न्यूनतम 5 मीटर चौड़ा, प्रति शिफ्ट 160 प्रशिक्षुओं तक के लिए) इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए इंजीनियरिंग ड्रॉइंग प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है — सिवाय ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के, जिनकी अपनी ड्रॉइंग सुविधाएँ होती हैं — और अन्य कौशल-प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए। PM-SETU हब ITI अतिरिक्त रूप से उन्नत डिजिटल बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं जिसमें AR/VR/XR (संवर्धित वास्तविकता / आभासी वास्तविकता / विस्तारित वास्तविकता)-सक्षम प्रशिक्षण, स्मार्ट कक्षाएँ, सिमुलेशन लैब, तथा SIDH (स्किल इंडिया डिजिटल हब) से जुड़ा LOMS (लर्निंग आउटकम मैनेजमेंट सिस्टम) शामिल हैं; हब में नवाचार/इन्क्यूबेशन केंद्र, उत्पादन केंद्र, और ToT (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) सुविधाएँ भी होती हैं।

एक क्रियाशील सरकारी ITI कैसा दिखता है

- कार्यशालाओं में परिचालनगत उपकरण हैं जिन पर हाल ही में उपयोग के संकेत दिखते हैं, और कच्चा माल तथा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध है
- प्रशिक्षक CITS प्रमाणन धारक हैं
- वास्तविक समय-सारिणी में व्यावहारिक-से-सिद्धांत अनुपात निर्धारित 70:30 बँटवारे से मेल खाता है
- पिछले बैच के प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्रशिक्षुता और नौकरियों के विशिष्ट आँकड़ों सहित उपलब्ध हैं
- बायोमेट्रिक उपस्थिति और NCVT MIS डेटा प्रविष्टि अद्यतन है
- IMC की पिछली तिमाही में बैठक हुई है जिसमें उद्योग सदस्यों की उपस्थिति रही है

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु प्रधानाचार्य है, उसके बाद ट्रेड-विशिष्ट मामलों के लिए समूह प्रशिक्षक / फोरमैन, या रोजगार-योग्यता कौशल प्रशिक्षक। संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) उद्योग-प्रतिनिधित्व एवं प्लेसमेंट शिकायतों के लिए औपचारिक मंच है।

सेवा के बाद। मामला राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय (DVET / DTE) तक और फिर प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT, दिल्ली) तक बढ़ाया जाता है। राज्य कौशल विकास मिशन का अभिसरण क्षेत्राधिकार है।

बाहरी। MSDE msde.gov.in पर एक शिकायत पोर्टल चलाता है और skillindiadigital.gov.in पर शिकायतें स्वीकार करता है। NCVET (नियामक) का अलग शिकायत चैनल ncvet.gov.in पर है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) मंत्रालय-स्तरीय शिकायतों को संभालती है। NAPS-प्रशिक्षुता विवाद apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से जाते हैं। राज्य रैगिंग-विरोधी हेल्पलाइन (1800-180-5522) का क्षेत्राधिकार है।